


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/1/18	<p>अवकाश के पत्र हैं। आज बार एसा, ने ...          मिला है। P.O. साहब ...          दिनांक 27/1/18 को पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
27/1/18	<p>बकुलाय केरीकेन उप. P.O.          साहब ...          पत्रावली दिनांक 29.1.18          को पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
28/1/18	<p>बकुलाय केरीकेन उप. P.O.          साहब ...          पत्रावली दिनांक 24.4.18          को पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
27.4.18	<p>प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोग          अदालत/केस कोट रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली          लोक अदालत में पत्रावली मुख्यालय ...          पर दिनांक 1/6/18 को पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p>उपखण्ड अधिकारी          कटूमर (अलवर)</p>
1.6.18	<p>पत्रावली को ...          पक्षकारान् उपस्थित / सहमत          नहीं होने के कारण प्रकरण नहीं हो सकता। अतः          पत्रावली दिनांक 4/6/18 को न्यायालय हाजा में पत्र हो</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p>
4.6.18	<p>पत्रावली के मद्रवों के ...          उक्त उपाधी सं. 125 नमक वकील उपाधी ...          उपाधी सं. 2 ...          उपाधी सं. 3 ...          उपाधी सं. 4 ...          उपाधी सं. 5 ...</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>रफ्तार रिपोर्ट 20.2.13 को जारी आदेशों निर्देशों का साक्ष्य के तहत प्रमाण देना सुनिश्चित (Confirm) किया जाकर सुप्रीम कोर्ट के साक्ष्य देना या इस बिना जारी है कि वह दिवसों में सुननी को नं. 264 को सदस्यता व संवत् 2013 के रिपोर्ट एवं सोपानों के साथ अलग-अलग (अनुसंधान) की प्रमाण सुननी के लिए ले कर है।</p> <p>सुननी /  S.D.K.</p>	